

अ. नं. 128/2011
म. 2011/00188

वार 128/2011
हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
2011/00188

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

2011
00188

10⁰² 2022 फाजली केस हरी इस्लामिक वादीग
अनुयायित इस्लाम परिवारी सं: 2
उपस्थित। आवज लागवाई गयी। इस्लाम
वादीग अथवा वादीग (यंग) उपस्थित
नहीं हुए। अतः प्रकार अदम हाजरी
अदम पेशी अदम लकून से शारीर
किया जाय है। फाजली केस सुमा
लेकर नम्बर ले कर हो।

(शकाम सुमा विरमेहं)
सहायक जज एवं
उपखण्ड अधिकारी
चिचौगढ़ (राज.)

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 2 नियम 6,7 जा.दी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर चित्तौडगढ़ बईजलास
श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर चित्तौडगढ़

- 1.जगदीश पिता मोहन धोबी नि.चित्तौडगढ़ तह.व जिला चित्तौडगढ़
- 2.रमेश पिता मोहन धोबी नि.चित्तौडगढ़ तह.व जिला चित्तौडगढ़
- 3.रुकमण बाई बेवा मोहन धोबी नि.चित्तौडगढ़ तह.व जिला चित्तौडगढ़

वादीगण

बनाम

- 1.नगरपालिका चित्तौडगढ़ जरिये आयुक्त नगरपालिका चित्तौडगढ़
- 2.रामचन्द्र पिता मांगीलाल रेगर नि.राशमी तह.राशमी जिला चित्तौडगढ़
- 3.मदन पिता मोहन धोबी नि.चित्तौडगढ़ तह.व जिला चित्तौडगढ़

प्रतिवादीगण

प्र.सं. 128/2011 (GCMS 2011/ 00188)

वादी की ओर से वकील श्री. - की, और प्रतिवादी सं. 2 की ओर से वकील श्री. बसन्तीलाल मेहता की उपस्थिति में यह वाद आज दिनांक को अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और आदेश डिक्री दी जाती है कि वादी का वाद पत्र अदम हाजरी, अदम पैरवी व अदम सबूत मे खारीज किया जाता है।

इस वाद के खर्च - प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा - को दी जावे। यह आज दिनांक 10.02.2022 को मेरे हस्ताक्षर से और मुहर अदालत से जारी की गई।



(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौडगढ़ (राज.)